—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—65 / 2024

उनवान

1. अजहरूदीन पुत्र सुल्तान खां,
2. अब्दुल,
3. अमीन पि0 अजीज,
4. असरफ पुत्र सरदार,
5. कश्मीर पुत्र सुल्तान,
6. फिरोज पुत्र अजीज,
7. मदीना पुत्री सुल्तान खां,
8. मुस्ताक पुत्र सुल्तान
9. रसूली पत्नी सुल्तान,
10. शाहनूर पुत्र अजीज,
11. सईदा पुत्री सुल्तान खां,
12. सुगरा पुत्री अजीज,
13. सम्पति पुत्री सुल्तान खां,
14. हमीदा पुत्री अजीज जाति चीता नि0 ग्राम देवला की डांग, नसीराबाद

—— वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री मंगलाराम चौधरी

बनाम

1 उस्ताद खान पुत्र अमरूद,
2. दौलतददीन पुत्र अमरूद,
3. धापू पत्नी अमरूद,
4. प्रेम पुत्री अहमद,
5. फायदा पुत्री अहमद,
6. मैना पत्नी निजामुददीन,
7. मेवा,
8. रमजू,
9. हुसैन पुत्र अहमद, जाति चीता नि0 देवला की डांग, नसीराबाद,
10. यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया भवानीखेडा, नसीराबाद,
11. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
12. उप पंजीयक, नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 व 6 से 9 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
11 व 12 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

13. आजाद खां पुत्र सुल्तान खां चीता नि0 देवला की डांग, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादी :— अनुपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

–: निर्णय :– दिनांक :– 26.11.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्रामदेवला की डांग प.म. राजौसी द्वितीयके खाता संख्या 63/4 किता 6 रकबा 0.73 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद कियाजावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। 1 से 3 व 6 से 9 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर पुश्तैनी समय से हक व विभाजन अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण ने मकान व बाडे बना रखे है। अतः उक्त आराजी का विभाजन किया जाना न्यायोचित नही है। शेष प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 8 के वारिस रिकार्ड पर लिये गये। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर वाद के न्यायिक निस्तारण हेतु आराजी मुतनाजा की मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :–

1. आया वादीगण आराजी मुतनाजा पर विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी है ?
2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। कि आराजी मुतनाजा पर पुश्तैनी समय से हक व विभाजन अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण ने मकान व बाडे बना रखे है। अतः उक्त आराजी का विभाजन किया जाना न्यायोचित नही है। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर वाद के न्यायिक निस्तारण हेतु आराजी मुतनाजा की मौका रिपोर्ट तलब की गयी। मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी मुतनाजा में से हाल खसरा नम्बर 2716 के पूर्ण रकबे पर व 2714, 2715 व 2686/5964 में आंशिक रकबे पर पक्का निर्माण कर मकान बने हुये है। खसरा नम्बर 2714, 2715, 2686/5964 के पूर्ण रकबे पर मकान/पक्का निर्माण नही है। किन्तु उक्त आराजी के विभाजन से पक्का निर्माण कर काबिज व्यक्ति व पक्षकार के मध्य वाद बहुलता होगी। अतः पक्का निर्माण किये गये खसरा नम्बर का विभाजन न्यायोचित नही है। हाल खसरा नम्बर 2507 व 2508 मौके पर रिक्त है तथा कृषि कार्य में लिया जा रहा है। उक्त आराजी का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगणअपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। अतः खसरा नम्बर 2714, 2715, 2716 व 2686/5964 के अतिरिक्त शेष आराजी खसरा नम्बर 2507 व 2508 पर वादीगण विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी आंशिक रूप से बहक वादी निर्णित की जाती है।

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम देवला की डांग प.म. राजौसी द्वितीय के खाता संख्या 63/4 किता खसरा नम्बर 2507 रकबा 0.10 व 2508 रकबा 0.20 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

अजहरूददीन बनाम उस्ताद

दावा बाबत :– 53, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –65/2024
पेश करने की दिनांक – 02.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मंगलाराम चौधरीमुद्दई हीरालाल माली व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देवला की डांग प.म. राजौसी द्वितीय के खाता संख्या 63/4 किता खसरा नम्बर 2507 रकबा 0.10 व 2508 रकबा 0.20 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 11 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद